राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांकः एफ--4(13)/वित्त/नियम/172/2013/6740 दिनांकः 11-09-13

परिपत्र

कतिपय इकाईयों द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया है कि निगम में नियुक्त नॉन आई.टी.आई आर्टिजन ग्रेड III द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान विनियम, 2008 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.06 अथवा इसके पश्चात् 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर आई.टी.आई. आर्टिजन ग्रेड III को अनुमत रनिंग पे बैन्ड एवं ग्रेड पे देय है अथवा नही ?

सन्देह निवारण हेतु समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे नॉन आई.टी.आई. आर्टिजन ग्रेंड III जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान विनियम 2008 में वेतन आहरित करते हुए दिनांक 30.06.2013 तक 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है उन्हें इस विनियम में वर्णित अनुसूचि–I सेक्सन "B" के अनुसार पे बैण्ड़ 5200–20,200 ग्रेड पे. न. 5, ग्रेड पे 1850 तथा दिनाक 01.07.13 से पे बैन्ड पीबी–I, रनिंग पे बैन्ड 5200–20200, ग्रेड पे न. 5, ग्रेड पे 2000 अनुमत होगी । इसी प्रकार दिनांक 01.07.13 या इसके पश्चात् 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियें को पे बैन्ड पी.बी.– I, रनिंग पे बैन्ड 5200–20200, ग्रेड पे न. 5, ग्रेड पे 2000 में वेतन देय होगा ।

उक्तानुसार वेतन अनुमत किये जाने की स्थिति में केवल ग्रेड पे अन्तर राशि का लाभ ही देय होगा । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि कर्मचारी को यह लाभ किसी भी परिस्थिति में 9 वर्षीय चयनित वेतनमान /निश्चित वृति बढ़ाव (ACP) का लाभ अनुमत किये जाने से पूर्व देय नही होगा ।

(जी.डी.व्यास)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः एफ–4(13)/वित्त/नियम/172/2013/6740 दिनांकः 11-09-13

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक(   ), रा.रा.प.प.निगम, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक (   ) रा.रा.प.प.निगम, जयपुर।
4. उप महा प्रबन्धक (   )/कार्यकारी प्रबन्धक (   ), रा.रा.प.प.निगम जयपुर।
5. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम , जयपुर।
6. जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.निगम., ... ।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, केन्द्रीय कार्यशाला रा.रा.प.प.निगम ....
8. लेखाधिकारी (   ) रा.रा.प.प.निगम जयपुर ।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) रा.रा.प.प.निगम, ...
10. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड –I (   ) रा.रा.प.प.निगम जयपुर
11. आदेश /रक्षित पत्रावली।

(एस.एन.मून्दड़ा)
महा प्रबन्धक(वित्त–नियम)